रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072021-228084
CG-DL-E-02072021-228084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 2021/आषाढ़ 11, 1943
No. 380] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2021/ASHADHA 11, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 470(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 और धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम – इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (अठारहवाँ संशोधन) नियम, 2021 है।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 8कक के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(5) उस रकम के मामले में जिसे शीर्ष "पूंजी लाभ" के अधीन धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट अस्तित्व की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य किया जाता है,

(i) रकम या उसका एक भाग लघु अवधि पूंजी आस्ति के अंतरण से समझा जाएगा, यदि यह निम्नलिखित से हुआ माना जा सकता हो,--

(क) पूंजी आस्ति जो धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन रकम के कराधान के समय लघु अवधि पूंजी आस्ति है; या

(ख) आस्ति के खंड का हिस्सा बनने वाली पूंजी आस्ति; या

(ग) धारा 45 के खंड (4) के स्पषटीकरण के खंड (ii) में यथा परिभाषित पूंजी आस्ति जो स्व-सृजित आस्ति या स्व-सृजित गुडविल है; और

(ii) रकम या उसका एक भाग दीर्घ अवधि पूंजी आस्ति या आस्तियों के अंतरण से समझा जाएगा, यदि वह उस पूंजी आस्ति से हुआ माना जा सकता हो जो खंड (i) के अंतर्गत नहीं आती तथा धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन रकम के कराधान के समय दीर्घ अवधि पूंजी आस्ति है।"।

3. मूल नियमों में, नियम 8कक के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"8कख. धारा 48 के अधीन विनिर्दिष्ट आस्ति की शेष पूंजी आस्तियों से धारा 48 की उपधारा (4) के अधीन कराधेय आय माना जा सकना

(1) धारा 48 के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए, जहां धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट अस्तित्व की आय के रूप में रकम आय-कर से प्रभार्य है, वहां विनिर्दिष्ट अस्तित्व ऐसी रकम को इस नियम में उपबंधित रीति में विनिर्दिष्ट अस्तित्व की शेष पूंजी आस्ति से हुआ मानेगा ।

(2) जहां धन के मूल्य का कुल योग और विनिर्दिष्ट अस्तित्व से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त पूंजी आस्ति का ऋजु बाजार मूल्य, उसके पूंजी खात के बकाया के आधिक्य में, धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन कर से प्रभार्य होकर, विनिर्दिष्ट अस्तित्व की किसी पूंजी आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या स्व-सृजित आस्ति या स्व-सृजित गुडविल के मूल्यांकन से संबंधित है, तो धारा 48 के खंड (iii) के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अस्तित्व की शेष पूंजी आस्ति से मानी जा सकने वाली रकम वह रकम होगी जो धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन भारित रकम का उसी अनुपात में वहन करती है जो पुनःमूल्यांकन या मूल्यांकन के कारण उस आस्ति के मूल्य में बढ़ोतरी या मान्यता अथवा पुनःमूल्यांकन या मूल्यांकन के कारण सभी आस्तियों के मूल्य में बढ़ोतरी या मान्यता के कुल योग का वहन करती है ।

(3) जहां धन के मूल्य का कुल योग और विनिर्दिष्ट अस्तित्व से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त पूंजी आस्ति का ऋजु बाजार मूल्य, उसके पूंजी खाते के बकाया के आधिक्य में धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन कर से प्रभारित होकर, विनिर्दिष्ट अस्तित्व की किसी पूंजी आस्ति के पुनर्मूल्यांकन या स्व-सृजित आस्ति या स्व-सृजित गुडविल के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन कर से प्रभारित रकम धारा 48 के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजी आस्ति से नहीं मानी जाएगी ।

(4) उपनियम (2) या उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां धन के मूल्य का कुल योग और विनिर्दिष्ट अस्तित्व से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त पूंजी आस्ति का ऋजु बाजार मूल्य, उसके पूंजी खाते के बकाया के आधिक्य में, धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन कर से प्रभारित होकर केवल विनिर्दिष्ट अस्तित्व से विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त पूंजी आस्ति से संबंधित है, तो धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन कर से प्रभारित रकम धारा 48 के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए किसी पूंजी आस्ति से नहीं मानी जाएगी ।

(5) विनिर्दिष्ट अस्तित्व प्ररुप सं. 5ग में विनिर्दिष्ट अस्तित्व की शेष पूंजी, आस्ति से मानी जा सकने वाली रकम के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ।

(6) प्ररुप सं. 5ग को इलैक्ट्रॉनिक ढंग से या तो डिजिटल हस्ताक्षर करके या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कूट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा तथा उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो धारा 140 के अधीन विनिर्दिष्ट अस्तित्व के आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए प्राधिकृत हैं ।

(7) प्ररुप सं. 5ग को उस निर्धारण वर्ष के लिए जिसमें रकम धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन कर से प्रभार्य है, धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(8) यथास्थित, आय-कर (प्रणाली) का प्रधान महानिदेशक या आय-कर (प्रणाली) का महानिदेक करेगा –

(i) प्ररुप सं. 5ग फाइल करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना;

(ii) प्रक्रिया, रुप विधान, आंकड़ा सरंचना, मानकों और उक्त प्ररुप प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति के सत्यापन के लिए उप-नियम 6 में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के सृजन की रीति को विनिर्दिष्ट करना; और

(iii) इस प्रकार प्रस्तुत प्ररुप सं. 5 ग के संबंध में नीतियों को पुनःप्राप्ति और क्रियान्वयन समुचित सुरक्षा और पुरालेखीय और प्रतिपादन के लिए उत्तरदायी होना ।

स्पष्टीकरण 1:इस नियम के प्रयोजनों के लिए धारा 45 की उप-धारा (4) के अधीन कर के लिए प्रभार्य रकम विनिर्दिष्ट असितत्व का कोई पूंजी आस्ति या स्वय सृजित आस्ति का पुनर्मूल्यन या स्वयं सृजित गुडविल के पुनर्मूल्यन के लिए संबंद्ध होगा यदि नियम 11प में यथापरिभाषित रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित पुनर्मूल्यन है ।

स्पष्टीकरण 2 : संदेह हटाने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि कोई आस्ति का पुनर्मूल्यन या स्वयं सृजित मूल्यांकन या स्वयं सृजित गुडविल इसके मूल्यांकन के कारण स्वयं सृजित आस्ति के मूल्य की मान्यता या इसके पुनर्मुल्यन कारण से उस आस्ति के मूल्य बढ़ोत्तरी के अवक्षयण के लिए पात्र नहीं होता है ।

स्पष्टीकरण 3 : इस नियम के प्रयोजनों के लिए पद "स्वयं सृजित आस्ति" या "स्वयं सृजित गुडविल" का अर्थ वही होगा जो धारा 45 की उप-धारा (4) में उनको समनुदेशित किया गया है।"।

4. मूल नियमों में परिशिष्ट II में प्ररुप ख के पश्चात् निम्नललिखत प्ररुप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप सं. 5ग

(नियम 8कख देखें)

विनिर्दिष्ट अस्तित्व के साथ शेष पूंजी आस्ति के लिए प्रदान किए गए रकम के ब्यौरे

1. विनिर्दिष्ट अस्तित्व का नाम
2. स्थायी लेखा संख्या
3. निर्धारण वर्ष
4. धारा 45 की उपधारा (4) के अधीन करादेय की रकम
5. शेष पूंजी आस्तियों के लिए धारा 45 की उप-धारा (4) के अधीन करादेय रकम का योगदान

क्रम सं.	पूंजी आस्ति		बहियों का मूल्य	स्वयं सृजित के लिए पुनर्मूल्यांकित रकम मूल्यांकित रकम	योगदान में रकम	लघु अवधि/ दीर्घ अवधि
	नाम	क्या स्वयं सृजित है हां/नहीं				
	कुल					

6. जो आधारित पर मूल्यांकक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या क्रम संख्या 5 पर मूल्यांकन रिपोर्ट उपबंधित है ।

सत्यापन

मैं,.....पुत्र/पुत्री.....सत्यनिष्टा से घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वेत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार दी गई सूचना सही और पूर्ण है । आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार मैं और घोषणा करता हूं कि मैं .....(ई-फाइल करने में उपयोगिता में नीचे उपबंधित किया जाए)

अपनी हैसियत से प्ररुप प्रस्तुत करता हूं और मैं इस प्ररुप और इसे सत्यापन प्रस्तुत करने के लिए भी सक्षम हूं । मैं.....स्थायी लेखा संख्या धृति हूं ।

स्थान:

तारीख: हस्ताक्षर .....".

[अधिसूचना सं. 76 /2021/फा. सं. 370142/22/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 395(अ) तारीख, 8 जून 2021 द्वारा संशोधन किया गया ।